न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारी: के.आर.खौड़, आर.ए.एस.)

अपीलार्थी

(1) कलबी समाज, बरलुट जरिये अध्यक्ष श्री मूपाराम पुत्र भगवानजी, जाति– कलबी, निवासी–बरलुट, तहसील व जिला– सिरोही

(2) खुमाराम पुत्र खंगारजी, जाति– कलबी, निवासी–बरलुट, तहसील व जिला–सिरोही

(3) सांकलाराम पुत्र खिमाजी, जाति–कलबी, निवासी–बरलुट, तह. व जिला–सिरोही

बनाम

प्रत्यर्थी

राजस्थान राज्य जरिये नायब तहसीलदार,, सिरोही

राजस्व अपील संख्या: 40 / 2022

"अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956"

उपस्थिति:

1. अधिवक्ता श्री उमाराम देवासी, अपीलार्थीगण की ओर से
2. पेरोकार सरकार,

–: निर्णय :– **दिनांक 10 जनवरी,, 2023**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। अपीलार्थीगण की ओर से यह अपील नायब तहसीलदार, सिरोही द्वारा प्रकरण संख्या 29 / 2022 में पारित निर्णय दिनांक 19.10.2022 से व्यथित होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 तहत प्रस्तुत की गई है।

(2) प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी को सम्मन जारी किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अपील की सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित हुए।

(3) बहस सुनी गई। अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने अपील में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थीगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरित है। प्रत्यर्थी अपने केस को साबित करने में पूर्णत: विफल रहा है, विधि का यह सर्वमान्य एवं सुस्थापित सिद्धान्त है कि वादी अपने पैरों पर खडा हो अर्थात् हल्का पटवारी को अपना केस साबित करना था। अप्रार्थी की कमी या कमजोरी का लाभ प्रार्थी प्राप्त नही कर सकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दस्तावेजों व रेकर्ड की जांच किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। अपीलार्थी कलबी समाज का जिस खसरा संख्या 933 की भूमि पर अतिक्रमण करना बताया है वह भूमि वर्तमान में राजस्व भूमि ही नही है, बल्कि गाम पंचायत बरलुट की आबादी भूमि है जो अपीलार्थीगण के कलबी समाज की पुराने पुश्तैनी कब्जे भोगवटे की भूमि है जिसमें कई आबादी मकान एवं पट्टाशुदा भूमि स्थित है। उक्त भूमि के पुराना खसरा संख्या 767 मी. थे, उक्त खसरा संख्या 767 मी. में से जिला कलक्टर, सिरोही के आदेश क्रमांक:सम / 80 / 6683–8700 दिनांक 13.10.1981 के द्वारा रकबा 10 बीघा भूमि को आबादी हेतु आवंटित की जाकर ग्राम बरलुट में आबादी विस्तार हेंतु ग्राम पंचायत, बरलुट को सुपर्द कर दी थी एवं नामान्तरकरण संख्या 655 दिनांक 14.1.1983 के द्वारा राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हुआ। भूप्रबन्ध के बाद मिसल बंदोबस्त संवत 2060–2079 में उक्त भूमि को सहवन से आबादी न बताकर पुन: गै.मु. ओरण दर्ज किया गया। [illegible] गलती का सुधार करने हेतु उक्त भूमि को तत्कालीन हल्का पट[illegible] राजस्व रेकर्ड / नक्शें में अमल दरामद करने हेतु विधि [illegible] नामान्तरकरण

......पेज दो पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.03.21 15:31:59 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

खोले सिर्फ एक नोट लगाकर आवंटित भूमि को वास्तविक आवंटित जगह मौके से अन्यत्र तरमीम किया गया जिससे खसरा संख्या 933 की बजाय खसरा संख्या 933/1 वर्तमान रेकर्ड में आबादी दर्ज हो गया। पुराना खसरा संख्या 767 मी. के नये ख़सरा संख्या 913, 915, 921 से 924, 927, 929 से 933 बने है। नया खसरा संख्या 933 की उक्त भूमि पर ग्राम पंचायत बरलुट द्वारा जिला कलक्टर, सिरोही के आदेशानुसार पट्टे वितरित किये थे तथा जिसमें से विवादित भूमि अपीलान्ट कलबी समाज द्वारा ग्राम पंचायत बरलुट से मोल कीमतन 97,150/— अक्षरे रुपये सतानवे हजार एक सौ पचास मात्र में खरीद की थी एवं उक्त भूमि की विक्रय पत्रावली का अनुमोदन पूर्ण जांच के बाद तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, सिरोही द्वारा अपने पत्र क्रमांक/पिजसि/पंचायत/ भूमि/2020/402—403 दिनांक 05.6.2002 के द्वारा किया गया जिसके बाद उक्त खरीदशुदा भूमि का ग्राम पंचायत, बरलुट द्वारा पट्टा संख्या 3 दिनांक 10.6.2002 को कलबी समाज के नाम से बाजार दर राशि प्राप्त कर जारी किया गया। तत्पश्चात् अपीलार्थी कलबी समाज ने ग्राम पंचायत, बरलुट से नियमानुसार निर्माण स्वीकृति प्राप्त कर निर्माण करवाया है एवं अपीलार्थी कलबी समाज जिसका उपयोग एवं उपभोग कई वर्षो से करता आ रहा है। यह कि जिला कलक्टर, सिरोही द्वारा ग्राम बरलुट के पुराने खसरा संख्या 767 मी की की भूमि को आबादी विस्तार हेतु ग्राम पंचायत, बरलुट को आवंटित कर वर्ष 1981 में ही सुपर्द कर दी थी जिस पर पुराने खसरा संख्या 767 मी. के नये खसरा संख्या मौका स्थिति एवं नक्शा अनुसार 933 है। राजस्व रेकर्ड एवं दस्तावेजी साक्ष्य मिलान खसरा क्षेत्रफल से भी स्पष्ट है कि ग्राम बरलुट के पुराने खसरा संख्या 767 मी. से नये खसरा संख्या 933 बने है जिसे हल्का पटवारी द्वारा बिना किसी आधार व बिना किसी तरमीम के खसरा संख्या 767 मी. के नया खसरा संख्या 933 के स्थान पर 933/1 बताकर एवं उक्त खसरा संख्या 933 को बिलानम राजस्व भूमि बताकर जमाबन्दी में गलत इन्द्राज किया है जबकि मिलान क्षेत्रफल व राजस्व नक्शा में में मौके पर खसरा संख्या 933/1 है ही नही, जिसकी राजस्व कर्मचारियों को पूर्ण जानकारी है। ग्राम पंचायण्त, बरलुट की आबादी भूमि वर्तमान राजस्व रेकर्ड में जमाबन्दी के अनुसार नक्शें में मिलान नही हो पा रही है अर्थात् जमाबन्दी मे जितनी आबादी भूमि ग्राम पंचायत बरलुट के खाते में इन्द्राज है उतनी भूमि राजस्व नक्शें में तरमीम नही है, इस सन्दर्भ में ग्राम बरलुट के राजस्व रेकर्ड के जमाबंदी अनुसार नक्शें में भूमि/रकबा तरमीम करवाये जाने के लिये व राजस्व नक्शा शुद्धिकरण करवाने हेतु धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की कार्यवाही भू अभिलेख अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) सिरोही के न्यायालय में ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तुत की गई है जिसके प्रकरण संख्या 01/2016 है जो अभी न्यायालय में लम्बित है। उक्त प्रकरण संख्या 01/2016 में हल्का पटवारी, बरलुट द्वारा प्रस्तुत जवाब/रिपोर्ट दिनांक 09.8.2016 जो तहसीलदार, सिरोही के पत्र क्रमांकःराजस्व/2016/6 दिनांक 17.5.2016 के द्वारा सहायक कलक्टर, सिरोही को अग्रेषित किया गया है में भी यह स्पष्ट रुप से अंकित किया गया है कि पुराने खसरा संख्या 767मी से नये खसरा संख्या 933 बने है। इससे यह स्पष्ट है कि राजस्व ग्राम बरलुट के राजस्व रेकर्ड/नक्शें में त्रृटि होने के कारण मौके की स्थिति का सटीक अनुमान वर्तमान रेकर्ड से किया जाना संभव नही है, परन्तु हल्का पटवारी द्वारा पुराने रेकर्ड का अवलोकन किया बिना ही नई जमाबन्दी में गलत इन्द्राज को देखकर अपीलार्थीगण के विरुद्ध धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत अधीनस्थ न्यायालय में रिपोर्ट प्रस्तुत की एवं अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, सिरोही ने भी रेकर्ड का सही रुप से अवलोकन किये बिना ही केवल हल्का पटवारी, बरलुट की रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। यह कि अपीलार्थी कलबी समाज ने उसके पुराने [illegible] भूमि जो ग्राम बरलुट की

.....पेज तीन पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.03.21 15:31:59 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर न्यायालय सिरोही

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

आबादी में स्थित है का ग्राम पंचायत, बरलुट से नियमानुसार राशि अदाकर विधिवत पट्टा प्राप्त किया है एवं उसके बाद नियमानुसार निर्माण स्वीकृति ग्राम पंचायत से प्राप्त कर मौके पर पक्का निर्माण करवाया है। यह कि ग्राम पंचायत, बरलुट द्वारा कलबी समाज, बरलुट के पक्ष में जारी उक्त पट्टा संख्या 3 दिनांक 10.6.2022 को निरस्त कराने हेतु श्री शैतानसिंह पुत्र झालमसिंह, जाति– राजपूत, निवासी– बिशनगढ, जिला– जालोर द्वारा इस न्यायालय (अतिरिक्त जिला कलक्टर न्यायालय, सिरोही) में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 97के तहत कलबी समाज, बरलुट व अन्य के विरुद्ध निगरानी आवेदन प्रस्तुत किया गया था जो पंचायत निगरानी संख्या 34 / 2002 पर दर्ज रजिस्टर होकर इस न्यायालय द्वारा बाद सुनवाई पक्षकारान पारित निर्णय दिनांक 18.12.2002 के द्वारा श्री शैतान सिंह का निगरानी आवेदन खारिज किया गया है। इस प्रकार,, उक्त पट्टा संख्या 3 दिनाक 10.6.2002 के संबंध में जब इस न्यायालय द्वारा निर्णय हो चुका है एवं अपीलार्थी कलबी समाज उक्त पट्टे की भूमि पर ही मौके पर काबिज है। ऐसी स्थिति में, अधीनस्थ न्यायालय को अपीलार्थी कलबी समाज के विरुद्ध कार्यवाही करने का कोई हक अधिकार नही है। अतः अपीलार्थीगण की अपील को स्वीकार किया जाकर अपीलाधीन निर्णय को निरस्त किया जावे। जबकि पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि अपीलार्थीगण द्वारा द्वारा ग्राम बरलुट के खसरा संख्या 933 किस्म गै.मु. रकबा 0.08 हेक्टेयर राजकीय बिलानाम भूमि में अवैध निर्माण किया गया है जिसके संबंध में हल्का पटवारी, बरलुट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थीगण के विरुद्ध धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर नियमानुसार प्रकरण दर्ज कर नोटिस जारी किये गये। प्रकरण में अपीलार्थीगण को सुनवाई का अवसर देते हुए हल्का पटवारी, बरलुट एवं भू अभिलेख निरीक्षक से मौके व रेकर्ड अनुसार जांच रिपोर्ट प्राप्त कर बाद जांच विधि अनुरुप निर्णय पारित किया गया है। विवादित भूमि ग्राम पंचायत, बरलुट की आबादी भूमि नही होकर राजस्व रेकर्ड में विवादित भूमि राजकीय बिलानाम दर्ज है। अतः अपीलार्थीगण की अपील को खारिज किया जावे।

(4) हमनें सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि हल्का पटवारी, बरलुट द्वारा अपीलार्थीगण के विरुद्ध संवत 2078 में ग्राम बरलुट के खसरा संख्या 933 किस्म गै.मु. रकबा 0.08 हेक्टेयर राजकीय बिलानाम भूमि पर कब्जा कर अवैध निर्माण करने की रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, सिरोही में प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थीगण के विरुद्ध प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलार्थीगण को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी कर तामिल करवाया गया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थीगण की ओर से उनके अधिवक्ता ने उपस्थित होकर लिखित जवाब प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों के संबंध में हल्का पटवारी, बरलुट एवं भू अभिलेख निरीक्षक, बरलुट से जांच रिपोर्ट प्राप्त की गई है। हल्का पटवारी, बरलुट एवं भू अभिलेख निरीक्षक, बरलुट की जांच रिपोर्ट दिनांक 11.10.2022 के अनुसार कलबी समाज का कब्जा खसरा संख्या 933 / 1 किस्म आबादी में नही होकर ग्राम बरलुट, पटवार हल्का बरलुट के खसरा संख्या 933 किस्म गै.मु. रकबा 0.08 हेक्टेयर भूमि राजकीय बिलानाम भूमि पर है। इस प्रकार,, प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि अपीलार्थीगण ने खसरा संख्या 933 किस्म गै. मु. राजकीय बिलानाम भूमि में कब्जा कर निर्माण [illegible]।

चूंकि अपीलार्थीगण के अधिवक्ता ने ब[illegible] के [illegible]न यह जाहिर किया है कि “जिला कलक्टर, सिरोही द्वारा ग्राम बरलुट [illegible]7 मी की की भूमि को आबादी विस्तार हेतु ग्राम पंचायत, बरलुट [illegible] आवंटित कर वर्ष 1981 में ही

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.03.21 15:31:59 IST
Reason: SelfAttested

....पेज चार पर

अतिरिक्त जिला कलक्टर * सिरोही *

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

सुपर्द कर दी थी जिस पर पुराने खसरा संख्या 767 मी. के नये खसरा संख्या मौका स्थिति एवं नक्शा अनुसार 933 है तथा ग्राम बरलुट के पुराने खसरा संख्या 767 मी. से नये खसरा संख्या 933 बने है जिसे बिना किसी आधार व बिना किसी तरमीम के खसरा संख्या 767 मी. के नया खसरा संख्या 933 के स्थान पर 933/1 बताकर एवं उक्त खसरा संख्या 933 को बिलानाम राजस्व भूमि बताकर जमाबन्दी में गलत इन्द्राज किया है जिसके संबंध में ग्राम बरलुट के राजस्व रेकर्ड के जमाबंदी अनुसार नक्शें में भूमि/रकबा तरमीम करवाये जाने के लिये व राजस्व नक्शा शुद्धिकरण करवाने हेतु धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की कार्यवाही भू अभिलेख अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) सिरोही के न्यायालय में ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तुत की गई है जिसके प्रकरण संख्या 01/2016 है जो अभी लम्बित है।'' इससे यह स्पष्ट है कि प्रकरण राजस्व नक्शें व रेकर्ड में तरमीम की शुद्धि से संबंधित है, जिसके लिये सक्षम न्यायालय भू अभिलेख अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) सिरोही के न्यायालय में धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत कार्यवाही लम्बित है। ऐसी स्थिति में, अपीलार्थीगण को सक्षम न्यायालय में चाराजोही करनी चाहिये।

अतः अपीलार्थीगण की अपील को खारिज किया जाता है। निर्णय सुनाया गया।

(के.आर.खौड)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.03.21 15:31:59 IST
Reason: SelfAttested